अध्याय–I
सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

प्रस्तावना

पृष्ठभूमि

1.1 1972 में, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) द्वारा उत्तर प्रदेश भवन संचालन का विनियमन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत दिल्ली के निकट स्थित बुलन्दशहर जिले के 50 गाँवों के विकास को नियमित करने एवं इस क्षेत्र में भूमि सौदों में सट्टेबाजी को कम करने के उद्देश्य से "यमुना–हिंडन–दिल्ली सीमा विनियमित क्षेत्र" के रूप में घोषित किया गया। तत्पश्चात, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी क्षेत्र में दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़े एक नियोजित, एकीकृत एवं आधुनिक औद्योगिक शहर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (यूपीआईएडी) अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अन्तर्गत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) का गठन[1] किया (अप्रैल 1976)। नोएडा उ.प्र. सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। मार्च 2020 तक, नोएडा के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत 81 ग्रामों की कुल 20,316 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित है। इस क्षेत्र में से नोएडा ने 15,279.80 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए महायोजना–2031 तैयार की है। राज्य सरकार ने महायोजना–2031 को सितम्बर 2011 में अनुमोदित किया। नोएडा ने मार्च 2020 तक 69 ग्रामों की 12,375.79 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया है।

विभाग की भूमिका एवं शक्तियाँ

1.2 आईआईडीडी राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्षम वातावरण बनाकर सरकार की औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन के लिए सरकार की शाखा के रूप में कार्य करता है। यह यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत गठित आठ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (औ.वि.प्रा.)[2] और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी[3] के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से सम्बंधित अपने कार्य करता है। नोएडा इन आठ औ.वि.प्रा. में से एक है। सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आईआईडीडी जिम्मेदार है एवं इसे नोएडा के कामकाज को विनियमित करने के लिए यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं। नोएडा के सम्बंध में आईआईडीडी की जिम्मेदारियां हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि उद्योगों के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया के सभी चरण समयबद्ध तरीके से पूरे किये जाये;
- यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 के कुशल प्रशासन के लिये समय–समय पर नोएडा नोएडा को दिशा–निर्देश जारी करना;
- नोएडा द्वारा क्रियाकलापों के प्रशासन के लिए बनाये गये विनियमों की स्वीकृति देना;
- नोएडा पर नियन्त्रण के लिए उनसे किसी भी रिपोर्ट/विवरण एवं अन्य सूचना की मांग कराना;

---

1 17 अप्रैल 1976 की अधिसूचना द्वारा।

2 नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), वृहत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा), यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), उ0प्र0 एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), सथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपी सीडा)।

3 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी)।

- नोएडा द्वारा महा/विकास योजनाओं के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना; एवं
- यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्य उनकी योजनानुसार किये गये हैं।

नोएडा की भूमिका/कार्य

1.3 यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 6 के अनुसार, नोएडा का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्र का नियोजित विकास सुनिश्चित करना है। नोएडा निम्नलिखित कार्यों के लिये उत्तरदायी है:

- औद्योगिक विकास क्षेत्र में अनुबन्ध द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही द्वारा भूमि अर्जन के लिए;
- औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु योजना तैयार करने हेतु;
- योजनानुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनों के लिये सीमांकन करना और स्थलों का विकास करने हेतु;
- औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनों के लिये अवसंरचना प्रदान करने के लिए;
- सुविधायें प्रदान करने के लिए;
- औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा आवासीय उद्देश्यों के लिये भूखण्डों की बिक्री अथवा पट्टा या अन्य माध्यम से आवंटन अथवा हस्तान्तरण करने के लिए;
- भवन निर्माण एवं उद्योगों की स्थापना का विनियमितीकरण करना; एवं
- उस उद्देश्य का निर्धारण करना जिसके लिए किसी विशेष कार्य स्थल या भूखण्ड का उपयोग किया जायेगा, अर्थात औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्य या ऐसे क्षेत्र में किसी अन्य निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए।

नोएडा का प्रबंधन एंव सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण

नोएडा का प्रबंधन

1.4 यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार, नोएडा एक निगमित निकाय होगा जिसमें कुल 11 सदस्य होंगे (उ.प्र. सरकार द्वारा नामित पाँच सदस्यों को शामिल करते हुये)। इनमें से सचिव, औद्योगिक विभाग, उ.प्र. सरकार या उनका नामित व्यक्ति जो कि संयुक्त सचिव पद से नीचे का न हो, पदेनअध्यक्ष होगा। यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 4 यह प्रावधानित करती है कि नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 5 (1) प्रावधानित करती है कि राज्य सरकार के सामान्य एवं विशेष आदेशों द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन, नोएडा ऐसी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो उसके कार्य निष्पादन के लिये आवश्यक हो एवं उनके पदनाम एवं ग्रेड निर्धारित कर सकता है। सीईओ, नोएडा पूर्ण कालिक अधिकारी है जो कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (एसीईओ), उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डीसीईओ), विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) एवं एक वित्त नियंत्रक की मदद से दिन–प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन करता है। नोएडा के बोर्ड का वास्तविक संगठन **चार्ट 1.1** में दिया गया है।

चार्ट 1.1: नोएडा बोर्ड का गठन

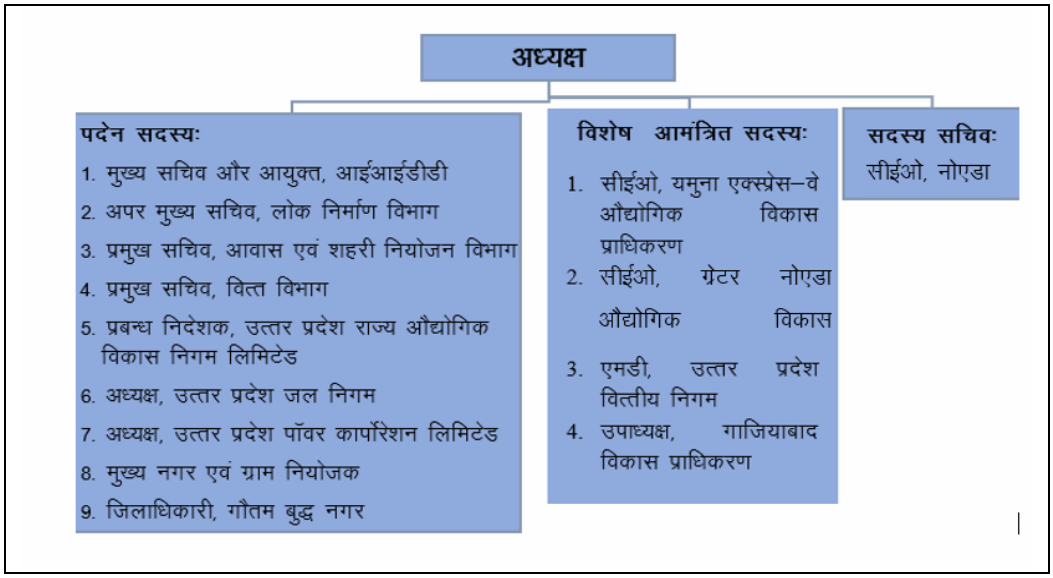

संगठनात्मक संरचना **चार्ट 1.2** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1.2: संगठनात्मक संरचना

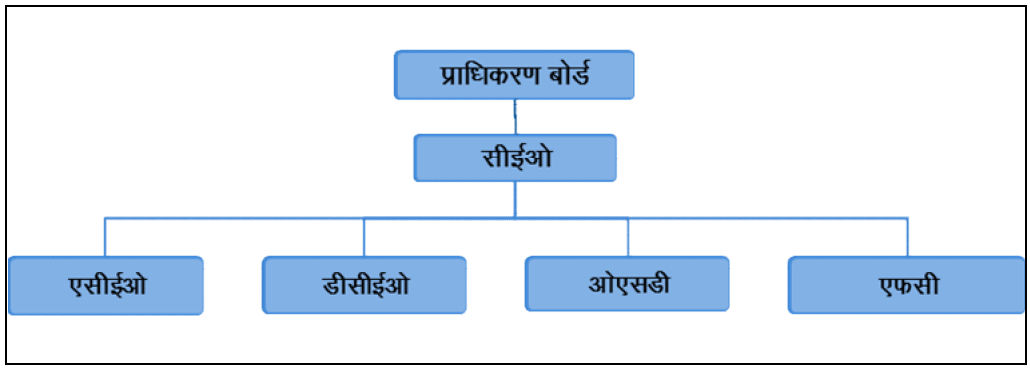

सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण

1.5 नोएडा आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र. सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) एवं प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों को सीधे (एसीईओ/डीसीईओ/ओएसडी) के रूप में नोएडा में नियुक्ति करता है। साथ ही अतिरिक्त राज्य वित्त एवं लेखा सेवा से एक अधिकारी की वित्त नियंत्रक के रूप में वित्त विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उ.प्र. सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव, बोर्ड के सदस्य हैं जोकि नोएडा की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

लेखापरीक्षा का कार्य सौंपना एवं लेखाओं का अन्तिमीकरण

लेखापरीक्षा का कार्य सौंपना

1.6 1976 में स्थापना के बाद से नोएडा की लेखापरीक्षा वास्तव में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के दायरे से बाहर रही है, केवल 2003–04 से 2005–06 की एक संक्षिप्त अवधि के लिए निर्दिष्ट कार्यालय द्वारा नोएडा की प्राप्तियों की

लेखापरीक्षा की गई थी[4]। हालाँकि, सीएजी के संगठन द्वारा फरवरी 2004 से अप्रैल 2017 के बीच किये गये बारम्बार अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया।

जुलाई 2017 में उ.प्र. सरकार ने नोएडा एवं तीन[5] अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (औ.वि.प्रा.) की लेखापरीक्षा सीएजी को तत्काल प्रभाव से करने के लिये निर्देशित किया। इसके बाद (जनवरी 2018) उ.प्र. सरकार ने आईआईडीडी के अधीन सभी[6] प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी को वर्ष 2005–06 से तथा भविष्य के लिए भी एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। नोएडा की लेखापरीक्षा सौंपने से पूर्व स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा नोएडा की लेखापरीक्षा की जाती थी।

लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

1.7 नोएडा ने वर्ष 2017–18 तक के अपने वित्तीय विवरण को नगद आधार पर तैयार किया एवं वर्ष 2011–12 तक के वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 22 के अनुसार स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग द्वारा हो चुका था। सीएजी को दिनांक 17 जनवरी 2018 को वर्ष 2005–06 एवं आगे की अवधि हेतु नोएडा की लेखापरीक्षा सौंपा गया। वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि के वित्तीय विवरण नोएडा द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रस्तुत किये। वर्ष 2012–13 के लेखाओं की लेखापरीक्षा शुरू की गई परन्तु नोएडा ने सूचित किया कि वह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–।।) उ.प्र., लखनऊ द्वारा 2012–13 के लेखाओं पर जारी आपत्तियों के आधार पर अपने वित्तीय विवरणों को नगद आधार से उपार्जित आधार पर संशोधित कर रहा है। वर्ष 2005–06 से 2017–18 तक के संशोधित वित्तीय विवरण नोएडा द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–।।) लखनऊ को फरवरी 2021 में प्रेषित कर दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.8 निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्याः

- नोएडा में वैध प्रक्रिया के माध्यम से और वैध विकास उद्देश्यों के लिए भूमि का अर्जन किया गया था;
- परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण और आवंटन, पारदर्शी और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप था; तथा
- भूमि अर्जन और परिसम्पत्तियों के आवंटन के लिए नोएडा में सरकार का पर्याप्त निरीक्षण नियन्त्रण और एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

लेखापरीक्षा कसौटियाँ

1.9 लेखापरीक्षा जाँच निम्नलिखित लेखापरीक्षा कसौटियों के आधार पर की गईः

- यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अर्जन के उद्देश्यों का आंकलन;

---

[4] कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–।।), उत्तर प्रदेश, लखनऊ (पूर्ववर्ती कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

[5] ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा), यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) और उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण (यूपी सीडा)।

[6] नोएडा, जीनीडा, यीडा, यूपीडा, लीडा, गीडा, सीडा और यूपी सीडा।

- एनसीआरपीबी की क्षेत्रीय योजना–2021, उ.प्र. सरकार की उप क्षेत्रीय योजना –2021, नोएडा की महायोजना–2021 एवं 2031 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न भूमि अर्जन के वैध विकास उद्देश्यों का आंकलन;

- भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 और उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली 1997 (करार नियमावली) एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) के प्रावधान के अनुसार यह आंकलित करने के लिए कि क्या भूमि अर्जन इन नियमों एवं अधिनियमों के तहत निर्धारित प्राक्रियाओं एवं विधियों के अनुसार था;

- परिसम्पत्तियों की लागत एवं आवंटन के लिए प्रीमियम/आरक्षित मूल्य तय करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार एवं नोएडा बोर्ड/सीईओ के द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेश;

- विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिये नोएडा की कार्य प्रक्रिया एवं इसकी लेखांकन प्रक्रिया यह आंकलन के लिए कि क्या भूमि के मूल्य निर्धारण द्वारा विकास कार्यों की लागत की वसूली की गयी थी;

- औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004, अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति, 2012 और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2004 एवं 2012 के प्रावधान के सम्बंध में परिसम्पत्ति आवंटन नीतियों, प्रक्रियाओं एवं विवरणिका[7] के नियम एवं शर्ते का आंकलन; एवं

- आईआईडीडी द्वारा जारी शासनादेश, बोर्ड के ऐजेंडा एवं कार्यवृत्त के अनुसार संकल्पों, प्रशासनिक और वार्षिक रिपोर्टों एवं भौतिक एंव वित्तीय प्रगति रिपोर्टों की जाँच जिससे भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन में नोएडा के निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

1.10 दिसम्बर 2018 से नवम्बर 2019 के दौरान आयोजित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में 2005–06 से 2017–18 की अवधि के लिए वैध विकास उद्देश्यों के लिए भूमि के अर्जन, परिसम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण और आवंटन में नोएडा का प्रदर्शन शामिल है, और इसमें सरकार के निरीक्षण नियंत्रण और नोएडा के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन भी समाहित है।

नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन की प्रमुख गतिविधियां वर्ष 2006–07 से 2012–13 के दौरान की गयी थी। भूमि अर्जन के लिये 24 अधिसूचनाओं (मार्च 2018 तक जारी की गयीं) में से 22 अधिसूचनायें वर्ष 2012–13 से पूर्व की अवधि से सम्बंधित है। इसी तरह विभिन्न श्रेणियों के तहत अप्रैल 2005 से मार्च 2018 तक आवंटन के 7,287 प्रकरणों में से 6,820 प्रकरण 2012–13 से पहले की अवधि से सम्बन्धित हैं।

भूमि अर्जन के सम्बंध में 100 हेक्टेयर से कम के अर्जन के प्रकरणों में जाँच हेतु नमूने का चयन यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर किया गया। हालांकि, 100 हेक्टेयर से अधिक के अर्जन के सभी प्रकरणों को जाँच के लिए चुना गया है। परिसम्पत्तियों के आवंटन के सम्बंध में, 2005–2018 के बीच आवंटित परिसम्पत्तियाँ इस सम्प्रेक्षा में आच्छादित हैं तथा नमूना आकार, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर

[7] विवरणिका एक दस्तावेज है जिसमें परिसम्पत्तियों के आवंटन के लिये पूर्ण नियमं एवं शर्तें शामिल रहती हैं। विवरणिका की नियम एवं शर्तें पट्टा अभिलेख (लीजडीड) में भी शामिल रहती हैं। बोर्ड द्वारा योजना का अनुमोदन देते समय विवरणिका को मंजूरी दी जाती है।

निर्धारित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में, मानचित्रों की संबंधित स्वीकृति भी लेखापरीक्षा जाँच का एक भाग रहा है। नमूनाकरण का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है:

तालिका 1.1: नमूने का विवरण

	पद्धति	प्रकरणों की कुल संख्या	नमूना चयन	कुल प्रकरणों में चयनित नमूनों का प्रतिशत	लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी पत्रावलियां
भूमि अर्जन					
एलएए के अन्तर्गत	यादृच्छिक	24	15*	62.5	15
समझौतों के माध्यम से	यादृच्छिक	1134	115	10.14	115
पुर्नग्रहण[8]	निर्णय	7	7	100	7
कुल		**1165**	**137**	**11.76**	**137**
भूमि आवंटन					
औद्योगिक	स्तरीकृत यादृच्छिक	1865	83	4.66	83
संस्थागत एवं आईटी		511	107	20.94	104
वाणिज्यिक		320	46	14.37	39
ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स		113	46	39.65	42
कुल		**2809**	**282**	**10.04**	**268**

*इसमें 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि अर्जन के 10 प्रकरण शामिल हैं।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में सम्मिलित था:

- आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार तथा नोएडा को लेखापरीक्षा उद्देश्यों को दिनांक 28 दिसम्बर 2018 को आयोजित की गयी इन्ट्री कान्फ्रेंस में स्पष्ट करना;

- अभिलेखों की जाँच, डाटा का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्न उठाना, संयुक्त भौतिक सत्यापन, सरकार के अधिकारियों से बातचीत करना ताकि नोएडा पर आईआईडीडी का नियंत्रण की प्रभावपूर्णता का आंकलन किया जा सके, और नोएडा कार्यालय में नोएडा के प्रबंधन के साथ बातचीत; एवं

- सरकार के अन्य विभागों एवं संस्थाओं से आँकड़ें एकत्र करना जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आरओसी), उ.प्र. भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) इत्यादि, डाटा विश्लेषण, इसका नोएडा के डाटा से प्रति सत्यापन एवं लेखापरीक्षा प्रश्न उठाना;

सरकार और नोएडा से उनकी टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी (जनवरी 2020); किया गया। दिनांक 08 सितम्बर 2020, 30 सितम्बर 2020 एवं 9 अक्टूबर 2020 को आयोजित एग्ज़िट कांफ्रेंस मे नोएडा द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरों एवं सरकार द्वारा की गयी टिप्पणियों और विचारों को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया। जाँच की प्रक्रिया के दौरान प्रतिवेदन को संशोधित किया गया और संशोधित प्रतिवेदन को 16 सितम्बर 2021 को फिर से सरकार को जारी किया गया जिसके लिए दो सप्ताह की निर्धारित अवधि के अन्दर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

[8] ग्राम समाज की भूमि ग्राम समाज के अधिकार में छोड़ी गई सरकारी भूमि होती है। नोएडा ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजता है जिसके आधार पर संभागीय आयुक्त भूमि के मूल्य का उल्लेख करते हुए नोएडा के पक्ष में भूमि के पुर्नग्रहण हेतु अधिसूचना जारी करता है। तत्पश्चात, अधिसूचना में उल्लिखित धनराशि के भुगतान पर नोएडा के पक्ष में भूमि का पुर्नग्रहण कर दिया जाता है।

क्षेत्र परिसीमा

1.11 लेखापरीक्षा दल को अभिलेखों और सूचनाओं को प्राप्त करने से सम्बंधित कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। आवंटन से सम्बंधित कुल मांगी गई 282 फाइलों में से केवल 268 फाइलों की लेखापरीक्षा में जाँच की गई क्योंकि शेष 14 फाइलें दिसम्बर 2018 से नवम्बर 2019 तक लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही की जा सकीं। चूंकि नोएडा ने इन फाइलों/सूचनाओं को लेखापरीक्षा के समापन के बाद अगस्त/सितम्बर 2020 में प्रस्तुत किया **(परिशिष्ट–1.1)** में इन अभिलेखों की जाँच नोएडा की अगली लेखापरीक्षा में की जाएगी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु

1.12 इस प्रतिवेदन में छः अध्याय शामिल हैः

I. सामान्य

II. नियोजन

III. भूमि का अर्जन

IV. परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण

V. परिसम्पत्तियों का आवंटन

VI. आन्तरिक नियंत्रण

अध्याय–I में लेखापरीक्षा का कार्य प्रदान किया जाना, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा कसौटियाँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि का वर्णन किया गया है। अन्य पाँच अध्यायों में लेखापरीक्षा परिणामों को शामिल किया गया है। अध्याय–V परिसम्पत्तियों के आवंटन को अग्रेतर चार उप–अध्यायों अर्थात ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का आवंटन, वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन (स्पोर्ट्स सिटी भूखण्डों सहित), संस्थागत भूखण्डों का आवंटन (फार्म हाउस भूखण्डों सहित) और औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन, में विभाजित किया गया है।

अभिस्वीकृति

1.13 निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पादन के दौरान नोएडा और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. सरकार के अधिकारियों के सहयोग एवं सहायता को लेखापरीक्षा अभिस्वीकार करती है।